आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल

क्रमांक/ ई.ओ. /ए.बी./2023/ 752 भोपाल, दिनाँक 15 /05/2023

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय म.प्र. ।
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत योजना मध्यप्रदेश ।

विषय: "निरामयम् प्रोत्साहन योजना" के संचालन एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: (1) "निरामयम् प्रोत्साहन योजना" दिशा निर्देश क्र./एस.एच.ए/ए.बी./2021/ 2034, भोपाल, दिनांक 04/10/2021

(2) कार्यालय पत्र क्रमांक/जी. एम. (ऑपरेशन)/ ए.बी./2022/1234 भोपाल, दिनाँक 06/05/2022

(3) कार्यालय पत्र क्रमांक/ए.बी./एस.एच.ए./ई.ओ./2022/538 भोपाल, दिनाँक 28/02/2022

(4) कार्यालय पत्र क्रमांक/ए.बी./एस.एच.ए./ई.ओ./2022/773 भोपाल, दिनाँक 29/03/2022

(5) कार्यालय पत्र क्रमांक/ वित्त/ए.बी./2022/ 243 भोपाल, दिनाँक 12/04/2022

–000–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना से संबद्ध शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में "निरामयम् प्रोत्साहन योजना" का संचालन एन.पी.एस. पोर्टल (Website: https://mp.niramayamprotsahan.com) के माध्यम से किया जा रहा है। एन.पी.एस. पोर्टल के माध्यम से संचालन हेतु संबंधित संस्था के रोगी कल्याण समिति के लेखापाल को मेकर (लेखापाल न होने की अवस्था में अधिकृत प्रभारी/अतिरिक्त प्रभारी) एवं संस्था प्रमुख को चेकर नियुक्त किया गया है। मेकर एवं चेकर को प्राप्त Login Credentials के द्वारा एन.पी.एस. पोर्टल के माध्यम से योजना अंतर्गत इन्सेंटिव वितरण का कार्य संपादित किया जाता है। "निरामयम् प्रोत्साहन योजना" दिशा-निर्देशानुसार संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में मेकर एवं चेकर की जानकारी विवरण Login Credential बनाने हेतु प्रेषित किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को NPS Portal मे जोड़े जाने हेतु जानकारी विवरण (सैलरी बैंक खातों के विवरण, पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि) सील, हस्ताक्षर एवं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। प्राप्त जानकारी को NPS पोर्टल में अपलोड करने पश्चात मेकर एवं चेकर द्वारा चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी विवरण, सत्यापन उपरांत प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया की जावेगी।

अतः निरामयम प्रोत्साहन योजना के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

तथा "निरामयम् प्रोत्साहन योजना" से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में **Email id – ayushman.nps@mp.gov.in** पर संपर्क करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

12/05/2023

(दिव्या पटेल)

कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

क्रमांक/ ई.ओ. /ए.बी./2023/ 753

भोपाल, दिनाँक 15 /05/2023

प्रतिलिपि: सूचनार्थ।

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
4. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
5. महाप्रबंधक (लीगल), आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
6. कनिष्ठ लेखा अधिकारी आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय चिकित्सा अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
8. स्टेट हेड, Beneficiary Facilitation Agency (MD India Pvt. Ltd.) समस्त जिला समन्वयकों को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश